

23/10/19

पत्रावली पेरा हुआ अधिकार समयपत्र की  
 पूर्व में बहाना सुनी जो लिफ्ट अपील  
 अधिकार ने निवेदन किया कि प्राचीन/रेसो.  
 के क्षेत्र में 300मीटर दूरी पर सड़क  
 ही रेसो. के क्षेत्र तक माने जाते हैं  
 वे नालियुत रास्ता मौजूद है। वे कम्प्लेक्स  
 रास्ता होने की स्थिति में रेसो. को  
 अपनी सुविधा के अनुषंग रोस्ता  
 दिया जाना विधि समार नहीं है। एलएनए  
 क्लॉक में RTI की धारा 25A के  
 तहत राशि जमा नहीं करायी है। मधीनलय  
 न्यायालय द्वारा अपीलार को सुनवाई  
 का सम्पत्ति भवलय नही दिया गया। मधीनलय  
 न्यायालय द्वारा विधि विंडो की भवलय  
 की गरी मरः अपीलार की मपील  
 स्वीकार करपास जाते।  
 अधिकार, रेसो. ने बहाना करते हुए  
 निवेदन किया कि मपीलाधीन मध्ये



दिनांक  
 राजरव अपील प्राधिकारी  
 वाडमेर

में उक्त एक्ट अन्तर्गत निकालने से  
 हो रहा है। को अपने भारतीय तब पंहुके  
 के लिए कोई वेकेशन देना नहीं है।  
 मधीनस्थ न्यायालय में अपील कर  
 पेंसिल कर लाना सिरी प्रकाश का  
 उक्त एक्ट पर पेश नहीं किया है।  
 प्राप्ति रखा। काय मुतबि अडिप  
 पेंसिल भी दे दिए गए हैं। रास्ता  
 रखा। की भावनात्मक आवश्यकता  
 है। अतः अपील की अपील  
 खारिज कर पाई जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की वृत्त मुतबि एवं  
 पत्रावली का अवलोकन पर न्यायालय  
 इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मौका फ्री  
 दिनांक 17-04-2016 में स्पष्ट संकेत दिए  
 गया है कि प्राप्ति का आवेदन रास्ता  
 ही लघुतम है। प्राप्ति के पास भय  
 खेत में जाते के लिए अन्य कोई कारण  
 प्राप्ति। रास्ता उपलब्ध नहीं है। भेजे पर  
 उपलब्ध प्राप्ति नारायण सिंह व भाग्यश्री  
 ने बताया कि वह आवेदन रास्ता ख. नं.  
 107 में भेजा नहीं जा रहा है। इससे  
 साफ जाहिर है कि रखा। को मधीनस्थ  
 न्यायालय काय उक्त एक्ट अन्तर्गत  
 एवं निकालने विकल्प है। मधीनस्थ  
 न्यायालय द्वारा अपील की जाये कि  
 द्वारा स्पष्ट प्रक्रिया का पालन करते  
 हुए प्राप्ति दिए गया है। रास्ता  
 अपील का आवश्यक काल एवं



दिनांक  
 23/10/16  
 राजव अपील प्राधिकारी  
 - वाडमेर

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील में  
जारी हुए

मामलों को लेका करने हेतु अपील फाइल  
 नं 1081 अपीलानं के अपील पूर्ण होने  
 का करीं अंत नज्द नहीं आ रहा।  
 राफ्तार रोक-अपिली की मुताबत भावना  
 है जिन्का प्राधान्य राजस्व का रोक  
 भविष्य की धारा 251ए में लिख  
 गया है। उपरोक्त सिद्धि एवं न्याय  
 के मामलों में अपील खारिज करने  
 योग्य ठहरा है।  
 अतः अपील अपीलानं खारिज की  
 जाती है एवं सचीनान्य न्यायालय  
 सहायक कलक्टर सिविल हााउ प्रकाश  
 संख्या 81/2012 के अन्तगत काबुलिया  
 कनाफ खोगालत में पफते भावेन  
 दिनांक 29/06/2014 को यथावत रखा  
 जाता है। पत्रावली फेलाव खगाल नम्बर  
 में रूप होकर बाह तक्रमीय कोशिका फेला  
 देना आवेद्य है। इजाजत मुताबत गन्या



दिनांक  
 29/06/14  
 राजस्व अपील प्राधिकारी  
 बाइमेर